

1-सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी, 10/04/23 एवं 11/04/23 आकस्मिक अवकाश एवं 06/04/23 के न्याय समय बाद से 12/04/23 के न्याय समय पूर्व तक

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर - (छत्तीसगढ़)

-विविध संशोधन आदेश-

क्र०-क्यू/सी० जे० एम०/2023.

बिलासपुर, दिनांक 16/03/2023

मैं, मनीष कुमार दुबे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करता हूँ कि पूर्व में दिनांक 27/02/2023 को इस न्यायालय द्वारा माह मार्च 2023 के अवकाश दिवस हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेटों की रिमांड ड्यूटी लगायी थी, जिसमें दिनांक 18/03/23 के अवकाश दिवस के लिये श्रीमती मनीषा ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर की ड्यूटी लगायी गयी थी, जिसे संशोधित करते हुये उक्त दिनांक को रिमांड व अतिआवश्यक कार्य हेतु श्री गिरीशपाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर को निर्देशित किया जाता है।

शेष रिमांड आदेश यथावत रहेंगे।

(मनीष कुमार दुबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिलासपुर-(छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

- (1) श्री गिरीशपाल सिंह/श्रीमती मनीषा ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- (2) प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु संप्रेषित।
- (3) जिला अभियोजन अधिकारी बिलासपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, अवकाशकालीन रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन की ओर से पक्ष रखने हेतु अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रखने की व्यवस्था करें।
- (4) न्यायालय अधीक्षक, जिला न्यायालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- (5) जिला नाजिर, जिला न्यायालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- (6) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बिलासपुर को सूचनार्थ।

(मनीष कुमार दुबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिलासपुर-(छ.ग.)

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर - (छत्तीसगढ़)

-विविध संशोधन आदेश-

क्र०-क्यू/सी० जे० एम ०/2023.

बिलासपुर, दिनांक 06/03/2023

मैं, मनीष कुमार दुबे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करता हूँ कि पूर्व में दिनांक 27/02/2023 को इस न्यायालय द्वारा माह मार्च 2023 के अवकाश दिवस हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेटों की रिमांड ड्यूटी लगायी थी, जिसमें दिनांक 11/03/23 के अवकाश दिवस के लिये सुश्री अंकिता कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर तथा दिनांक 30/03/23 के अवकाश दिवस के लिये श्री गिरीशपाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर की ड्यूटी लगायी गयी थी, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

क्र०	दिनांक	रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम.
1	11/03/23	श्री गिरीशपाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर
2	30/03/23	सुश्री अंकिता कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर

शेष रिमांड आदेश यथावत रहेंगे ।

(मनीष कुमार दुबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिलासपुर-(छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

- (1) श्री गिरीशपाल सिंह/सुश्री अंकिता कश्यप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- (2) प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु संप्रेषित।
- (3) जिला अभियोजन अधिकारी बिलासपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, अवकाशकालीन रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन की ओर से पक्ष रखने हेतु अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रखने की व्यवस्था करें।
- (4) न्यायालय अधीक्षक, जिला न्यायालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- (5) जिला नाजिर, जिला न्यायालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- (6) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बिलासपुर को सूचनार्थ।

(मनीष कुमार दुबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिलासपुर-(छ.ग.)

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर - (छत्तीसगढ़)

-आदेश-

क्र०-क्यू/सी० जे० एम ०/2023.

बिलासपुर, दिनांक 27/02/2023

मैं, मनीष कुमार दुबे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करता हूँ कि माह मार्च 2023 के अवकाश तिथियों में निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर सायं 3.00 बजे से 5.00 बजे तक न्यायालय में अपने न्यायालयीन कर्मचारी के साथ उपस्थित होकर रिमाण्ड व अतिआवश्यक कार्य आदि सम्पादित करेंगे:-

क्र०	दिनांक	रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम.
1	05/03/23	श्री अंशुल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर
2	07/03/23	सुश्री रुचिता अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर
3	08/03/23	श्री निकसन डेविड लकड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर
4	11/03/23	सुश्री अंकिता कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर
5	12/03/23	सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर
6	18/03/23	श्रीमती मनीषा ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर
7	19/03/23	डॉ० सुमीत कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर
8	26/03/23	सुश्री अंकिता कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर
9	30/03/23	श्री गिरीशपाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर

नोट:- (1) जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की रिमाण्ड ड्यूटी अवकाश दिवस को रिमाण्ड हेतु लगाई गई है, यदि वे किसी कारणवश उक्त ड्यूटी निष्पादित करने में असमर्थ रहते हैं, तो किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करने हेतु सहमति प्राप्त कर उसकी सूचना माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय तथा इस न्यायालय को देंगे।

(2) उपरोक्त अवकाश दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश घोषित होने अथवा सदभाविक त्रुटिवश किसी अवकाश का उल्लेख उक्त रिमाण्ड आदेश में नहीं होने पर माह मार्च 2023 में डॉ० सुमीत कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर उक्त अवकाश तिथि को अत्यावश्यक कार्य, रिमाण्ड आदि संपादित करेंगे/करेंगी।

(मनीष कुमार दुबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिलासपुर-(छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

- (1) डॉ० सुमीत कुमार सोनी/श्री निकसन डेविड लकड़ा/श्रीमती मनीषा ठाकुर/श्री अंशुल वर्मा/सुश्री रुचिता अग्रवाल/सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी/श्री गिरीशपाल सिंह/सुश्री अंकिता कश्यप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- (2) प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु संप्रेषित।
- (3) जिला अभियोजन अधिकारी बिलासपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, अवकाशकालीन रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजन की ओर से पक्ष रखने हेतु अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रखने की व्यवस्था करें।
- (4) न्यायालय अधीक्षक, जिला न्यायालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- (5) जिला नाजिर, जिला न्यायालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
- (6) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बिलासपुर को सूचनार्थ।

(मनीष कुमार दुबे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट